



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 938]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 2017/कार्तिक 29, 1939
No. 938]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 20, 2017/KARTIKA 29, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1433(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 999(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 में प्रकाशित किए गये थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनसे उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 8 अगस्त, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (वारहवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के उप-नियम (4) में नियम 125ग में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन बीआईएस विनिर्देश तत्स्थानी तक समय-समय पर यथासंशोधित 1 जनवरी, 2018 को या उसके पश्चात् विनिर्मित यान एआईएस 056 (रेव 1):2017 के अनुसार केबिन के लिए वातानुकूलन प्रणाली या ट्रक केबिन संचालन के साथ लगे होंगे :

परतुं यह और कि यानों के बारे में, जिन्हें चालन अबाध गति (ड्राइव एवे) के रूप में विक्रीत किया जाता है, ऐसे मानक में किट विनिर्दिष्ट रूप में ढांचा निर्माणकर्ता (बाडी बिल्डर) की सुविधा के लिए विनिर्माता, एआईएस (रेव 1) : 2017 में निश्चित रूप से बलकृत संवातन मदों के एक प्रकार अनुमोदित किट प्रदाय करेगा।"

[फा. सं.आरटी-11028/02/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि 1361(अ) तारीख 20.11.2017 द्वारा प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2017

G.S.R. 1433(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 999 (E), dated the 8th August, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 8th August, 2017;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twelvth Amendment) Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 125C, in sub-rule (4), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the vehicles, manufactured on and after the 1st January, 2018 shall be fitted with an airconditioning system for the cabin or with the truck cabin ventilation system in accordance with AIS-056 (Rev1):2017, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016):

Provided further that in regard to the vehicles which are sold in the form of drive-away chassis, the manufacturer shall supply a type approved kit of forced ventilation items as defined in AIS-056 (Rev. 1):2017 to facilitate the body builder in installing the kit as specified within such standard.”.

[F. No. RT-11028/02/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* G.S.R. 1361(E), dated 02.11.2017.